1. श्रीमती डी ने आयोग में शिकायत कि की उसका प्रेम विवाह पति श्री आर से हुआ था। पति ने झगड़ा कर पीहर छोड़ दिया। इस पर दोनों पक्षकारान् को समझाइश हेतु बुलाया। दोनों पति–पत्नी की समझाइश की। दोनों साथ–साथ रहने को तैयार हो गये। और अपने घर ले गया। इसी तरह दोनों की गृहस्थी बस गई।

2. आर ने आयेाग में शिकायत कि की उसके संस्थान में कार्यरत् उच्च अधिकारी द्वारा उससे अनुचित मांग की गई। इस पर दोनों पक्षकारान् को समझाइश हेतु बुलाया गया। पीड़िता आर ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। अब उसे कोई समस्या नहीं है। इसी तरह पीड़िता आर को राहत दिलवाई गई।

3. श्रीमती ''के'' ने आयोग मे शिकायत कि की उसके ससुरालवाले आऐ दिन शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते है। दोनों पक्षकारान् को बुलाया गया और समझाइश की गई। पति आर पत्नी ''के'' को ले जोने को तैयार हो गया वह राशन वगैरह समय पर लाने का वचन दिया। प्ररकण की समय–समय अनुपालना की गई। दोनों पति–पत्नी राजी खुशी साथ–साथ रह रहें है और आपस में कोई शिकायत भी नहीं थी। इस तरह दोनों की गृहस्थी बस गई।

4. श्रीमती ''एन'' ने शिकायत कि की शादी के कुछ दिनों बाद ही पति ने मारपीट शुरू कर दी। पति दूसरी शादी करने की धमकी देता है आदि–आदि। इस पर दोनों पति–पत्नी को तलब कर बुलाया गया । दोनों पति–पत्नी की समझाइश की। दोनों पति–पत्नी की विभिन्न तारीख पेशियों पर समझाइश कीं। तब उन्होंने बतलाया कि वह साथ–साथ रह रहें है और आपस में कोई शिकायत नहीं है। दानों के बीच राजीनामा हो चुका है। इस तरह दोनों गृहस्थी बसाकर राहत दिलवाई गई।

5. श्रीमती ''आर'' ने शिकायत कि की उसके ससुरालवाले उसे आऐ दिन शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते है। इस पर दोनों पक्षकारान् को बुलाया गया। दोनों पति–पत्नी पिछली बातों को भुलाकर साथ रहने को तैयार हो गये। पुनः अगली पेशी पर समझाइश की गई। पति ''बी'' पत्नी ''आर'' व अपने बच्चों के साथ–साथ रहने को तैयार हो गया और अपने घर ले गया। इस प्रकार उजड़ी हुई गृहस्थी को बचाया गया।

6. प्रार्थियां 'ए' की व्यथा यह थी कि उसके पति मकान मालिक के पुत्र के बहकावें में आकर उसे परेशान करते हैं। प्रार्थिया व उसके पति को आयोग कार्यालय में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही है।

7. प्रार्थियां 'बी' एक निजी क्लिनिक में काउंसलर के रूप में कार्यरत थी, जहां कार्यरत 'सी' नामक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह व्यक्ति उसे हैरान व परेशान करता है। संबधित दोनों पक्षों को आयोग में बुलाकर समझाइश की गई जिसके पश्चात उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थिया से क्षमा याचना करते हुये यह परिवचन दिया गया कि वह भविष्य में इस प्रकार का कोई व्यवहार, आचरण नहीं करेंगा, जिससे संतुष्ट होकर प्रार्थिया द्वारा अपने आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं चाही गई।

8. प्रार्थिनी 'डी' द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके 'ई' नामक व्यक्ति से पिछले 4 वर्ष से प्रेम संबंध रहे है लेकिन कुछ कारणों से अब वह व्यक्ति प्रार्थिया के परिवारजनों व सहेलियों को फोन कर आत्महत्या करने व कपट के प्रकरण में फसाने की धमकी दे रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रार्थिया से संबंधित कुछ फोटोग्राफ, सी.डी. व पैन ड्राईव हैं, वह उसे दिलवाये जाये। आयोग द्वारा किये गये प्रयास के पश्चात उस व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

9. प्रार्थिया 'एफ' द्वारा अपने पति 'जी' के विरूद्ध दहेज हेतु मारपीट व गाली–गलौच करने के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा उभयपक्षों को बुलाकर समझाइश की गई जिसके परिणामस्वरूप आज दोनों पति–पत्नी बिना किसी विवाद के साथ–साथ रह रहे है।

10. प्रार्थिया 'एच' अपने कार्य स्थल से संबंधित 'आई' व 'जे' द्वारा मौखिक टिप्पणियों के जरियें परेशान करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा उभय पक्षों को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके पश्चात् से दोनों पक्षों के बीच का विवाद समाप्त हो गया है।

11. प्रार्थियां 'के' द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी इच्छा से 'एल' के साथ विवाह किया था। लेकिन उसके परिवारजन उसके इस व्यवहार से सहमत नहीं है और विवाह सम्बन्ध तोडने के लिए शारीरिक व मानसिक दबाव बना रहे हैं। आयोग द्वारा प्रार्थी व उसके परिवारजन के बीच समझाइश की गई। प्रार्थियां के पिता ने अपनी पुत्री के समस्त कागजात व कपडे सुपुर्द किऐ। अब प्रार्थियां अपनेपति के साथ शांतिपूर्वक रह रही है।

12. प्रार्थियां 'एम' द्वारा अपने पति 'एन' के विरूद्व शारीरिक व मानसिक प्रताडना दिऐ जाने की शिकायत की गई। आयोग द्वारा उभय पक्षों को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके पश्चात् दोनों पक्ष शांतिपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

13. प्रार्थियां 'ओ' द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके एक पुत्र है लेकिन पति के अपने भाभी के साथ गलत सम्बन्ध हैं, जिसके कारण वह अपने पीहर में रह रही है। आयोग कार्यालय द्वारा प्रार्थियां व उसके पति को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके बाद से उभय पक्ष शांतिपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

14. शैलेश एक परम्परावादी राजपूत परिवार का बेटा है, जिसे अपनी मर्जी से अपनी महिला मित्र से शादी करने की स्वतन्त्रता नहीं दी गई। परिणामस्वरूप उसका विवाह एक सजातीय, उच्च शिक्षा प्राप्त नीतू से कर दिया गया। शैलेश अपने माता–पिता का विरोध तो नहीं कर पाया, किन्तु उसने नीतू से दूरियां बनाते हुए अपनी पूर्व मित्र से इस हद तक मित्रता की कि पत्नी नीतू को उसका घर छोड़ना पड़ा। शैलेश का

परिवार भी नीतू की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर रहा था। नीतू ने महिला आयोग में अपना परिवाद दर्ज करवाया। शैलेश की काउन्सिलिंग की गई, किन्तु वह अपने हठ पर अड़ा रहा। नीतू ने उसके विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में भी भरण–पोषण व अन्य राहत हेतु वाद दायर कर दिया था। इधर महिला आयोग भी निरन्तर शैलेश की गतिविधियों पर नजर बनाये हुए था। शैलेश ने अपनी पत्नी नीतू को स्वदेश (भारत) में ही छोड़कर विदेश में जा कर बसने का मानस बनाया। महिला आयोग ने शैलेश की इस कुटिल चाल को भांपते हुए कार्यवाही की। आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत करवाया गया तथा उड़ान से कुछ घंटे पूर्व ही उसका विदेश भागने का कार्यक्रम निरस्त करवाया। शैलेश को विदेश भागने से रोक कर महिला आयोग ने नीतू की सहायता की। यद्यपि अभी भी दोनों पति–पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं तथा सक्षम न्यायालय में वाद लम्बित है, तथापि शैलेश को विदेश भागने से रोक कर महिला आयोग ने उसे स्वदेशी कानूनों का सामना करने हेतु बाध्य किया।

15. संगीता ने 8 वर्ष पूर्व परिवार की सहमति से प्रेम विवाह किया था। संगीता के पति, सास, ननद काफी भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए थे जिस कारण संगीता में असुरक्षा की भावना थी। इसी दौरान संगीता ने एक पुत्री को जन्म दिया। संगीता ने एक दिन अपनी बच्ची के साथ अपना ससुराल का घर छोड़ दिया। तीन–चार माह बाद पति उन्हें मना कर घर वापस ले आये। कुछ समय अच्छा निकला फिर वही स्थिति। संगीता को समझ नहीं आ रहा था कि पति का एक मिनट गुस्सा होना, मारना, फिर मनाने लग जाना। उसके बाद संगीता के पति ने फिर मारा तब संगीता महिला आयोग आई। महिला आयोग की मदद से संगीता के ससुराल वालों को पाबंद किया गया। तब संगीता ने ससुराल के घर में ही अलग रहना तय किया लेकिन पति नहीं माने और संगीता अपने पीहर चली गई। लगातार महिला आयोग से सम्पर्क में रही। तब उसे समझ आया कि उसके पति, सास, बहन, बेटी और स्वयं के बीच में एक ब्वउउवद पुरूष है और सभी रिश्ते उनके लिए बहुत संवेदनशील है। इसके कारण पति का भावुक होकर अपनी माता और बहन से बात करना जरूरी है क्योंकि उनके पिता और जीजा दोनों ही नहीं है। संगीता अपनी बेटी के साथ पीहर का घर छोड़कर किराये के मकान में रहने लगी। जहां छः माह बाद पति ने संगीता और बेटी से मिलना

शुरू कर दिया। अभी संगीता बहुत खुश है क्योंकि उसके पति उसकी और बेटी की पूरी जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। साथ ही बहन और मां की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। किसी को भी असुरक्षा की भावना महसूस नहीं हो रही है। संगीता जहां तक सम्भव होगा तब तक ऐसे ही अलग रहकर पति से सम्पर्क में रहेगी। संगीता ने महसूस किया कि महिला आयोग एक ऐसी जगह है जहां किसी कानूनी कार्यवाही में जाये बिना परिस्थितियों को समझते हुए समाधान करने में मदद मिलती है और सम्बन्धों को मजबूत और मधुर बनाने में मदद मिलती है।

16. मीना के परिवार में दो भाई और एक मीना स्वयं है। तीनों बच्चे माता–पिता के साथ ही रहते है। मीना एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर रही थी। वहीं उसकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई जो कि उनकी ही जाति का था। मीना पढ़ने में बहुत होशियार थी और आगे कुछ करना चाहती थी। जब एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर मीना घर आई तो उसके पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। मीना ने विवाह का विरोध किया और आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उसके साथ ही उसने अपने दोस्त के बारे में उन्हें बताया। तब उसके पिता ने उसे घर में बंद कर दिया। दोनों भाईयों ने मारपीट शुरू कर दी। एक दिन मीना की मां उसे गणेश जी मन्दिर लेकर गई वहां से मीना भाग कर महिला आयोग आ गई। मीना के आयोग आने की सूचना उसके पिता को दी गई और उसे शक्ति स्तम्भ रखवाया गया। माता–पिता के साथ हुई मीटिंग में मीना ने आगे पढ़ना तय किया और माता–पिता का अवांछित हस्तक्षेप उसके जीवन में ना हो इसके लिए उन्हें पाबन्द करवाया। आज मीना डण्ण् कर रही है। बहुत खुश है। आयोग ने उसे हिम्मत दिलाकर कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। जहां वह रहती है वहां के क्षेत्रीय थाने के नम्बर रखने को कहा। आज समय के साथ मीना के अन्दर का डर खत्म होता जा रहा है और समय–समय पर आयोग से मिले सहयोग से उसमें हिम्मत आ रही है।

17. पूनम ने दिनांक 23.02.2012 को अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति से आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। शादी के कुछ समय बाद पूनम ने अपने विवाह के बारे में अपने माता–पिता को बताया। उसके माता–पिता ने विवाह को स्वीकार करते हुए दिनांक 04.08.2012 को फिर शादी करवा दी। उसके बाद पूनम के ससुराल वालों ने

विवाह को स्वीकार किया और दिनांक 08.10.2012 को पुनः वैवाहिक रीति रिवाज द्वारा पूनम को ससुराल वाले ससुराल ले गये। बीस दिन बाद पूनम अपने पति के साथ वापस नौकरी करने लगी। उसके बाद पूनम गर्भवती हो गई और दिनांक 26.02.2013 को पति–पत्नी दोनों ने सास के पास उदयपुर रहना तय किया। दोनों पति–पत्नी में आपसी झगड़ा शुरू हो गया। कभी घर की बात को लेकर, कभी सास की किसी बात, कभी खाना, बोलना कोई ना कोई मुद्दा झगड़े का कारण बन ही जाता। पूनम के पति भी सास का साथ देते क्योंकि पूनम के ससुर नहीं है और उसकी सास ने अकेले ही दोनों बच्चों का पालन–पोषण किया। इसी तनाव में पूनम का गर्भपात हो गया और उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें एक वर्ष गर्भधारण के लिए मना कर दिया। पूनम के मानसिक तनाव का बहाना लेकर पूनम के पति पूनम को उसके पीहर छोड़ गये और सभी सम्पर्क खत्म कर लिए। पूनम का मानसिक तनाव और अधिक बढ़ने लगा। पति से सम्पर्क करती तो कोई जवाब नहीं मिलता। पूनम को उसकी दोस्त ने महिला आयोग के बारे में बताया और महिला आयोग की मदद से पति–पत्नी की संयुक्त बैठक में काउंसलिंग की गई। दोनों ने साथ रहना तय किया। सास ने पहले तो बेटे–बहू को घर से बाहर निकाल दिया किन्तु पुनः ससुराल के घर में रख लिया। अब पूनम बहुत खुश हैं। घर बसने के बाद उसने बार–बार महिला आयोग को धन्यवाद दिया।

18. सीमा प्रसव पीड़ा के साथ प्रसव के लिए सभी जगह परेशान होकर घूम रही थी। तब ही किसी ने सीमा को महिला आयोग के बारे में बताया। सीमा के पास माता–पिता, पीहर, ससुराल किसी का कोई भावनात्मक, आर्थिक सहयोग नहीं था। सीमा प्रसव पीड़ा में महिला आयोग पहुंची। महिला आयोग ने सीमा को जनाना अस्पताल पहुंचाया। वहां उसने दिनांक 12.09.2012 को पुत्र को जन्म दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर सीमा को नारी निकेतन भेजा गया। जहां उसकी और उसके बच्चे की देखरेख की गई। जब सीमा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगी तब अपने बच्चे को लेकर नारी निकेतन चली गई और अपने बच्चे का पालन–पोषण स्वयं करने लगी। फिर सीमा ने दिनांक 17.01.2013 को बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए महिला आयोग ने फिर मदद की। आज राजस्थान राज्य महिला आयोग की मदद से सीमा और उसका बच्चा अपनी जिन्दगी जी रहे हैं। सीमा का कहना है कि आयोग ने

बिना कोई सवाल किये उसकी मदद की और उसके बच्चे का जन्म हो पाया। यदि आयोग से मदद नहीं मिलती तो समाज के सवाल और लोगों की नजरें उसे जीने नहीं देती। आज वो ठीक है और खुश भी है।

19. ममता की पिछले एक वर्ष से एक पुरूष से दोस्ती थी। दोस्ती के साथ–साथ उनकी मुलाकातें भी होने लगीं। उन्ही मुलाकातों से उसे एक दिन पता चला कि उसका दोस्त शादी शुदा है और उसके बच्चे भी है। तब ममता ने दोस्त से मिलना कम कर दिया और धीरे–धीरे बंद भी कर दिया। ममता के दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ममता को बदनाम करने की धमकी देने लगा। दोनों के कुछ जानकार लोगों को अपने रिश्ते के बारे में बताने लगा। ममता बहुत परेशान रहने लगी। फिर ममता के माता–पिता ने उसकी सगाई कर दी। ममता को डर लगने लगा कि उसका दोस्त उसके होने वाले पति को कुछ कह ना दे। क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे ममता की सगाई के बारे में पता लगेगा ही। ममता दोस्त की धमकियों से परेशान होकर आयोग आई। यहां से उसके दोस्त को समझाया गया और चेतावनी भी दी गई कि वह भविष्य में कभी ममता के जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब से ममता राहत में है। लगातार ममता ने महिला आयोग से सम्पर्क रखा और बताया कि अब उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वो खुश है।

20. प्रार्थी सुभाष की व्यथा यह थी कि उसने अपनी पत्नी कामिनी को शादी के बाद उच्च शिक्षा दिलवाई। दम्पत्ती के एक पुत्र है लेकिन कामिनी किराए का मकान लेकर अलग रह रही है। सुभाष अपनी पत्नी व बच्चे को अपने साथ रखना चाहता था। पति पत्नी दोनों को आयोग कार्यालय में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही है। दोनों पति–पत्नी साथ–साथ रह रहे हैं।

21. प्रार्थियां रूबी ने शिकायत की कि उसकी शादी श्याम से हुई थी, जिसके एक दूसरी महिला निर्मला के साथ अवैध संबंध है। पत्नी का कहना था कि पति उसका अथवा बच्चे का भरण–पोषण नहीं करता है। इस पर दोनों पक्षों को आयोग कार्यालय में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद दोनों

पति–पत्नी साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। प्रार्थिया ने बतलाया कि उसे अब अपने पति से कोई शिकायत नहीं है।

22. प्रार्थिया सुधा की व्यथा यह थी कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडित करते हैं और घर खर्च के लिए पैसे नही देते हैं। साथ ही उसकी गृहस्थी में हस्तक्षेप करते हैं। इस पर दोनों पक्षकारान् को आयोग में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद ससुलाल वालों ने आश्वस्त किया कि वे सुधा व राज की गृहस्थी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अप्रार्थी राज ने भी अपनी पत्नी को साथ रखने का आश्वासन दिया। पुनः फोलोअप के बाद पाया कि दोनों पति–पत्नी साथ–साथ रहने लगे है और उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही है। इस तरह इनकी गृहस्थी बस गई।

23. गीता एक पिछड़े वर्ग की महिला है, जिसका बाल विवाह हुआ था। पति से अनबन होने के कारण वह कुछ समय से पीहर में ही रह रही थी। पिता की मृत्यु हो जाने तथा छोटे भाई के अध्ययनरत होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परेशान होकर गीता ने नौकरी करनी शुरू की लेकिन सेठ की नीयत ठीक नहीं होने के कारण एवं उसके द्वारा परेशान करने पर गीता ने केवल 15 दिन मजदूरी कर नौकरी छोड़ दी। सेठ ने 15 दिन की मजदूरी तो दे दी लेकिन धमकी दी गई। एक दिन गीता घर लौट रही थी तो एक कार आकर रूकी और उसे जबर्दस्ती कार में डालकर कपासन (चित्तौड़गढ) के पास रेलवे पटरी पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद सम्भवतया साक्ष्य समाप्त करने के उद्धेश्य से रेल की पटरी पर आती हुई रेल के सामने पटककर भाग गऐ। गीता के रेल दुर्घटना में घुटनों से ऊपर तक दोनों पैर कट गऐ। इस हृदय विदारक घटना को महिला आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया और प्रसंज्ञान लेते हुये कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। उदयपुर में हॉस्पीटल में भर्ती पीड़िता से अध्यक्ष स्वयं मिलने गयी। कलक्टर व एस.पी. चित्तौड़गढ से फोन पर बातचीत कर तथा पत्र द्वारा तुरन्त आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु निर्देशित किया गया। महिला आयोग द्वारा गीता का महावीर विकलांग समिति, जयपुर में उसे निःशुल्क बोर्डिग व लौजिंग की सुविधा के साथ उसके दोनों पैर में केलिपर्स लगवाये गये व ऑटो ट्राइसाइकिल दिलवायी गई। गीता को

विकलांग पेंशन, छोटे भाई को पालनहार योजना, उसकी मां को विधवा पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड तथा इन्दिरा गांधी आवासीय योजना का लाभ दिलाने हेतु प्रशासन को लिखा जा चुका है एवं इस हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई है। गीता को बी.पी.एल, विकलांग पेंशन, पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता दिलवायी। गीता का बलात्कार का प्रकरण सक्षम न्यायालय में लम्बित है।

24. विमला कम उम्र में ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। एक दिन विमला बाड़े में पशु का दूध निकालकर लौट रही थी। पहले से ही घात लगाकर बैठे देवर व ननद ने उसको मारा–पीटा और कपड़े फाड दिऐ। इन लोगों ने विमला को घसीटते हुए गांव के बीच बने मंदिर पर ले गऐ और विमला की ही साड़ी से मंदिर के खंभे से बांध दिया और लाठियों से मारा। ससुर अपनी विधवा पुत्रवधू को उसके हिस्से की जमीन नहीं देना चाहता था। इस कारण देवर, ननद और ससुर ने उसके साथ मारपीट, लज्जा–भंग जैसा अमानवीय कृत्य किया। आयोग के ध्यान में जब यह दर्दनाक घटना सामने आई तो त्वरित कार्यवाही की गई। देवर, ननद और ससुर को गिरफ्तार करवाया गया।

25. सारिका अल्पसंख्यक समुदाय की नाबालिग बच्ची है। वह अपनी तीन बहिनों के साथ सिनेमा देखकर रात 9 बजे घर लौट रही थीं। दो वहशी युवक जीप में सवार होकर आऐ और सारिका को जीप में डालकर ले गऐ। साथ चल रही तीनों बहिनों ने शोर–शराबा किया। इस पर लोगों ने उस जीप का पीछा किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आई क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। इन दोनों वहशी युवकों ने उस नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सड़क पर पटककर भाग गऐ। जब यह प्रकरण महिला आयोग के संज्ञान में आया तो तुरन्त प्रशासन को आवश्यक दिशा–निर्देश दिऐ। राज्य महिला आयोग की ओर से पीड़िता की मदद हेतु रू. 25000/–(रूपये पच्चीस हजार मात्र) उसके सीकर स्थित बैंक खातें में सीधे जमा करवाये गये। मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा पीड़िता को रू. 5,00,000/–(रूपये पॉच लाख मात्र) की आर्थिक सहायता दी गई।

स्वयं आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अस्पताल जाकर लगातार बच्ची के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई एवं प्रकरण की प्रभावी मोनीटरिंग की गई।

सारिका के नाजुक अंगों के लगभग 17 ऑपरेशन जयपुर के सरकारी अस्पताल में और नई दिल्ली स्थित एम्स में करवाए गए। राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में उसके परिवार को आवास व खाने के सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई। अभी हाल ही में आयोग सारिका व उसके परिवार से सीकर जाकर मिलकर आया। सारिका अब स्वस्थ है और वह अपने पैतृक राज्य में जाना चाहती है।

नोट : उक्त सभी नाम काल्पनिक है।